


ANNEXURE-III

COUNSELLING मे भाग लेने वाले अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश / हिदायते

- 1 चयनित अभ्यर्थी Counselling मे उपस्थित होने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनकी विज्ञापन अनुसार अनिवार्य निर्धारित शैक्षिक योग्यता का परीक्षा परिणाम दिनांक 30.05.2014 से पहले घोषित हुआ होना चाहिए।
- 2 रोजगार कार्यालय मे अभ्यर्थी का नाम overage होने से पहले दर्ज होना चाहिए तथा निर्धारित समय पर नियमित रिन्वू होना चाहिए तथा रोजगार अधिकारी द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र साथ में लाये।
- 3 अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्रों की दो-दो छाया/फोटो कॉपी सक्षम राजपत्रित अधिकारी के द्वारा सत्यापित करवा कर तथा तीन पासपोर्ट साइज फोटो (वर्तमान की) भी साथ में लायें।
- 4 यदि अभ्यर्थी के पास आवश्यक मूल प्रमाण पत्र नही होंगे तो उसे Counselling मे सम्मिलित नही किया जायेगा।
- 5 यदि चयनित अभ्यर्थी निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित नही होता है तो उस से कम मैरिट वाल अभ्यर्थी को स्थान आंबटित कर दिया जायेगा।
- 6 चयनित अभ्यर्थी को एक बार स्थान आंबटित होने के बाद बदला नही जायेगा।
- 7 प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थी को पद रिक्त रह जाने पर बाद मे सूचित किया जायेगा।
- 8 Counselling विद्यालय शिक्षा निदेशालय, हरियाणा सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार ही की जायेगी।
- 9 मूल प्रमाण पत्रों के निरीक्षण एवं Counselling के दौरान अनुशासन बनाये रखे।


संयोजक (IED-SS)
कृते: महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।